

आर० सी० प्रपत्र – 9

देखें नियम – 29(1)

राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अन्तर्गत उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन
(प्रपत्र 9 पूर्व में प क – 11(क))

भाग– 1 आवेदक का विवरण

- 1.1 आवेदक का नाम –
- 1.2 पिता / पति का नाम –
- 1.3 आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है – हां / नहीं
- 1.3.1 हां की स्थिति में –
पता –
- 1.3.2 नहीं की स्थिति में
मण्डल – जनपद –
- तहसील – पता –
- 1.4 आधार नम्बर (वैकल्पिक) –
- 1.5 मोबाइल नम्बर –

भाग – 2

मृतक / मृतका / विवाहिता / पुनर्विवाहिता खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकार का दावा किया जाना है

- 2.1 उत्तराधिकार का आधार – पुरुष खातेदार / महिला खातेदार
- 2.1-पुरुष खातेदार की स्थिति में- खातेदार की मृत्यु
- 2.2-महिला खातेदार की स्थिति में-
- 2.3-खातेदार की मृत्यु / खातेदार का विवाह / खातेदार का पुनर्विवाह –

खातेदार का नाम –

- 2.2 तिथि –
(खातेदार की मृत्यु की तिथि / खातेदार का विवाह की तिथि / खातेदार का पुनर्विवाह की तिथि)
- 2.3 पिता का नाम / पति का नाम / संरक्षक का नाम
- 2.4 मृतक / मृतका / विवाहिता / पुनर्विवाहिता को सम्पत्ति प्राप्त होने का स्रोत
उत्तराधिकार से / स्वयं अर्जित की हुई
- 2.5 मण्डल
- 2.6 जनपद
- 2.7 तहसील

- 2.8 परगना
- 2.9 ग्राम
- 2.10 पता
- 2.11 आधार नम्बर
- 2.12 मोबाइल नम्बर

भाग-3

मृतक / मृतका / विवाहिता / पुनर्विवाहिता खातेदार के स्वामित्व की भूमि का विवरण

- 2.5 मण्डल
- 2.6 जनपद
- 2.7 तहसील
- 2.8 परगना
- 2.9 ग्राम

- 'भूखण्डों की संख्या -
- 'गाटा संख्या -
- ' खतौनी खाता वि० - खतौनी खाता चुनें

भाग - 4

मृतक / मृतका / विवाहिता / पुनर्विवाहिता खातेदार के वारिसों का विवरण

4.1 वारिसों की संख्या -

4.2 वारिसों का विवरण

4.2.1-वारिसों की संख्या-

4.2.2-नाम -

पिता /पति / संरक्षक की प्रकृति का नाम - पिता /पति / संरक्षक

पिता /पति / संरक्षक का नाम

उम्र ----

खातेदार से सम्बन्ध -----

(मृतक / मृतका / विवाहिता / पुनर्विवाहिता खातेदार से सम्बन्ध - विधवा, अविवाहिता पुत्री, पुत्र-पुत्रादि क्रम में पुंजातीय वंशज, पिता, माता, पति, विधवा माता, विवाहित पुत्री, भाई (जो उसी मृत पिता का पुत्र हो), बहन (जो उसी मृत पिता का पुत्री हो), पूर्व मृत भाई (जो उसी मृत पिता का पुत्र हो) का पुत्र, पुत्र की पुत्री, विवाहिता बहन, सौतेली बहन (जो उसी मृत पिता का पुत्री हो) की पुत्र, भाई के पुत्र का पुत्र, पिता के पिता का पुत्र (चाचा), पिता के पिता का पुत्र का पुत्र (चाचा का पुत्र), माता की माता का पुत्र,)

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर